



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन)

संविदा स्टॉफ नर्स के रिक्त पदों की

पूर्ति हेतु

नियम पुस्तिका

(2019-20)



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश के अंतर्गत निम्न संविदा रिक्त पदों की पूर्ति हेतु एम.पी ऑनलाईन लिमिटेड के माध्यम से आवेदन आमंत्रित हैं।

1. पद का विवरण:-

क्र	पद	पद संख्या
1.	स्टॉफ नर्स	760

2. चयन प्रक्रिया-

उपरोक्त पद हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है:-

क्र	पदनाम	रिक्त पद	मासिक मानदेय	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	आयु सीमा
1	स्टॉफ नर्स	760	20,000 रुपये प्रतिमाह	<ul style="list-style-type: none"> उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण/हायर सेकेण्डरी (10+2) शिक्षा पद्धति में 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण। मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय से जी.एन.एम./बी.एस.सी. नर्सिंग कोर्स उत्तीर्ण। मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल से जीवित पंजीयन होना अनिवार्य। 	21-40 वर्ष अधिकतम आयु सीमा में (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (अनारक्षित/आरक्षित) के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट) (01/08/2019 की स्थिति में)

3. संविदा पद हेतु आरक्षण निम्नानुसार होगा:-

क्र.	पद का नाम	स्वीकृत रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित (37%)		अनुसूचित जनजाति (20%)	अनुसूचित जाति (16%)	अन्य पिछड़ा वर्ग (27%)	कॉलम क्र 4,5,6,7, एवं 8 का योग
			सामान्य	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग				
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	स्टॉफ नर्स	760	254	28	152	121	205	760

4. आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। इसके बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
 - हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची।
 - हायरसेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची।
 - निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हेतु मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय से जी. एन.एम./बी.एस.सी. नर्सिंग कोर्स उत्तीर्ण।
 - सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण-पत्र (जिस पद पर आरक्षण लागू हो)।
 - मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाणपत्र।
 - मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल से जीवित पंजीयन होना अनिवार्य।
5. आवेदक अपना मोबाईल नम्बर तथा ई-मेल आई. डी. की सटीक जानकारी आवेदन पत्र में अंकित करें। आवेदकों को सूचना न मिलने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिम्मेदार नहीं होगा।
6. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
7. अभ्यर्थियों को ऑनलाईन परीक्षा देनी होगी। परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा।
8. वरीयता निर्धारण हेतु दशमलव के 2 अंको तक विवेचना में लिया जावेगा।
9. लिखित परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समतुल्य अंक प्राप्त की जाने की स्थिति में वरीयता का क्रम निम्नानुसार होगा:-
 - क-अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को कम उम्र वाले अभ्यर्थियों पर प्राथमिकता।
 - ख-एक ही जन्मतिथि/उम्र के अभ्यर्थी होने पर, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में अधिक अंक वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता।
10. ऑनलाईन परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर पदवार चयन सूची अभ्यर्थियों द्वारा आवेदित किये गये पदों के अनुसार मेरिट सूची जारी की जावेगी।
11. दावा आपत्ति परीक्षा उपरांत एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार की जावेगी।
12. चयन उपरांत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के मानव संसाधन मैनुअल के अनुसार नियुक्ति कार्यवाही/अनुबंध किया जायेगा।
13. आवश्यक अर्हता धारण करना अथवा लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होना चयन की गारंटी नहीं होगा। नियुक्ति के पूर्व मूल दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा जिसके सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थी की पदस्थापना की जावेगी।
14. मिशन आवश्यकतानुसार पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकेगा।
15. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश को बिना कारण बताये किसी भी आवेदन को/संपूर्ण प्रक्रिया को स्थगित/निरस्त करने का अधिकार होगा।
16. रिक्तियों को एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से मेरिट सूची के प्रकाशन के उपरांत पदस्थापना प्रदान करने हेतु रिक्तियों की सूची अपलोड की जावेगी।
17. परीक्षा केन्द्र आवश्यकतानुसार घटाये/बढ़ाये जा सकते हैं।
18. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2 जुलाई 2019 के अनुसार लोक सेवा केन्द्र से जारी आय एवं परिसंपत्ति प्रमाणपत्र ही मान्य होगा।

19. उक्त पद मैदानी कार्यकर्ता का होता है इस कारण निःशक्तजनों द्वारा संभव नहीं है। अतएव इस पद को निःशक्तजन की नियुक्ति के लिये जनहित में चिन्हित नहीं किया गया है।
20. विभाग द्वारा अंतिम रूप प्रदान किये गये पाठ्यक्रम के आधार पर एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से ऑनलाईन परीक्षा आयोजित की जायेगी।
21. चिकित्सकीय प्रमाण पत्र जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र मान्य किया जावेगा।
22. अभ्यर्थी में गर्भधारण होने की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-10/2016 1/3 दिनांक 1/11/2016 के तारतम्य में अस्थायी मेडिकल अनफिट रहेंगे।
23. अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-8/2016/1/3 दिनांक 04/जुलाई/2019 द्वारा एवं समय-समय पर जारी संशोधन लागू समझे जायेंगे।
24. कोई भी उम्मीदवार जिसके विरुद्ध अपराधिक मामला न्यायालय में विचारित है अथवा न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, अनर्ह होगा (पात्र नहीं होगा)।

कार्य दायित्व

डिलेवरी पाईट्स पर कार्यरत स्टॉफ नर्स

- प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षित प्रसव संपादित करना।
- न्यूनतम 20 प्रसव प्रतिमाह सीएच. सीएचसी सीमॉक पर तथा न्यूनतम 10 प्रसव प्रतिमाह सीएचसी एवं पीएचसी बीमॉक पर।
- गर्भवती महिला की सम्पूर्ण जाँच (हिमोग्लोबिन, पेशाब, बी.पी. तथा पेट की जाँच) करना तथा आवश्यक प्रविष्टि एम.सी.पी. कार्ड करना।
- खतरे के लक्षण जैसे गंभीर खून की कमी, उच्च रक्तचाप, खून आना, उल्टा/आडा/जुडवा गर्भ आदि पाये जानेपर तुरन्त महिला का उचित उपचार करना तथा सुविधा उपलब्ध ना होने की स्थिति में कियाशील स्वास्थ्य संस्था पर जननी एक्सप्रेस वाहन के माध्यम से रेफर करना।
- सामान्य हिमोग्लोबिन होने पर (11 ग्राम की उपर) आईएफए की एक बड़ी गोली तथा खून की कमी (8 से 11 ग्राम) आईएफए की दो बड़ी गोली के सेवन हेतु सलाह देना।
- गंभीर एनीमिया वाली महिला को सीमॉक संस्था में प्रबंधन हेतु रेफर करना।
- प्रसव हेतु आने वाली गर्भवती महिला की सम्पूर्ण जाँच कर एडमिशन शीट तैयार की जाए।
- निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार पार्टोग्राफ संधारित किया जाए। जिससे फिटल तथा मेटरनल डिस्ट्रेट निर्धारित प्रोटोकॉल तथा अवरुद्ध लेबर का प्रबंधन तथा रेफरल किया जाए।
- इंफेक्शन प्रीवेंशन प्रोटोकॉल का पालन किया जउए सिसे महिला एवं नवजात शिशु में सेप्सिस के कारण होने वाले काम्प्लीकेशन के प्रकरणों में कमी लायी जा सके।
- रेफरल हेतु निर्धारित स्लिप का उपयोग किया जाए एवं उचित फर्स्ट एड जैसे-आई.वी.लाईन आक्सीटोसिन, कारबोप्रोस्ट इंजेक्शन, मैगसल्फ इंजेक्शन आदि लगाकर भेजा जाए।
- रेफरल की जाने वाली संस्था में कॉ से।न्टर के माध्यम से फोन से सूचित किया जाए।
- प्रसूति कक्ष में आवश्यक औषधियां, सामग्री, उपकरण आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- एम.एन.एच. टूलकिट के आधार पर सभी आवश्यक पंजियों का संधारण करना।
- आक्सीटोसिन, कारबोप्रोस्ट इंजेक्शन हेतु कोल्ड चैन मेनटेन करने के लिए लेबर रूम के फ्रीज में रखा जाए।
- प्रसव उपरान्त महिला को 1 घंटे तक प्रसूति कक्ष में रखकर प्रसव उपरान्त होने वाली जटिलताओं की पहचान तथा प्रबंधन सुनिश्चित करने के पश्चात् मेटरनिटी वार्ड में शिफ्ट करवाना।
- न्यूनतम सर्विस गारण्टी के अनुसार सेवर्एँ प्रदान करना।

- प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को डिस्चार्ज के समय न्यूनतम 100 गोली आई.एफ.ए. की प्रदान की जाए तथा आवश्यक समझाईश दी जाए। प्रसवोपरान्त 1, 3, 7, 42 दिवस पर एएनएम तथा

आशा द्वारा गृह भेंट कर प्रसवोत्तर जाँच सुनिश्चित की जाए एवं नवजात शिशु की देखभाल परिवार कल्याण सेवाओं के विषय में जानकारी दी जाए।

- महिला को प्रसवोत्तर नसबंदी/आई.यू.डी. निवेश हेतु प्रोत्साहित करना।
- प्रत्येक प्रसव में अनिवार्य रूप से नवजात शिशु देखभाल हेतु उपस्थित रहें एवं जन्म के समय नवजात शिशु को **Hyponthermia** से बचाव हेतु गर्म रखें, जन्म के तुरन्त बाद मों को स्तनपान कराने हेतु प्रेरित करें, शिशु का वजन लें एवं यदि कोई जटिलता के लक्षण हैं तो चिकित्सक से तत्काल परीक्षण कराये।
- न्यूबॉर्न कार्नर रजिस्टर में प्रत्येक न्यूबॉर्न जिसे पुर्नजीवन दिया गया हो, कि प्रविष्टि सुनिश्चित करें।
- पोस्टनेटल वार्ड में चिकित्सक को सुबह व शाम राउण्ड दिलाये।
- समय से पूर्व प्रसव के प्रकरणों में Injection Betamethason के उपयोग की ट्रेकिंग व रजिस्टर में प्रविष्टि करेगी।
- सुनिश्चित करेगी कि न्यूबोर्न कार्नर के सभी उपकरण व सामग्री क्रियाशील अवस्था में है।
- बीमार एवं अति कम वजन के नवजात शिशुओं को निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध करायेगी तथा आवश्यकता होने पर उच्च स्वास्थ्य संस्था तक शिशु के साथ जायेगी।
- एमसीटीएस की अद्यतन जानकारी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर तक प्रेषित करें।
- फ्यूमिगेशन, उपकरणों को संक्रमणरहित करना इत्यादि कार्यवाही को अधीनस्थ सपोर्ट स्टॉफ से सुनिश्चित करेगी।

एस.एन.सी.यू. में पदस्थ स्टॉफ नर्स:-

- एसएनसीयू में भर्ती बच्चों का पंजीयन कर Identification Tag लगाये जाये एवं कैसशीट में सामान्य प्रविष्टियों को दर्ज करें।
- एसएनसीयू प्रोटोकॉल्स अनुसार चिकित्सक के मार्गदर्शन में भर्ती शिशुओं का प्रबंधन एसेप्टिक प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करेगी।
- केस शीट्स में नर्सस हेतु निर्धारित आर्डरशीट में प्रविष्टियाँ दर्ज करेगी।
- एसएनसीयू की साफ- सफाई, फ्यूमिगेशन, उपकरणों को संक्रमणरहित करना इत्यादि कार्यवाही को अधीनस्थ सपोर्ट स्टॉफ से सुनिश्चित करेगी।

न्यूबॉर्न कार्नर में पदस्थ स्टॉफ नर्स:-

- प्रत्येक प्रसव में अनिवार्य रूप से नवजात शिशु देखभाल हेतु उपस्थित रहें एवं जन्म के समय नवजात शिशु को Hypothermia से बचाव हेतु गर्म रखें, जन्म के तुरन्त बाद माँ को स्तनपान कराने हेतु प्रेरित करें, शिशु का वजन लें, एवं यदि कोई जटिलता के लक्षण हैं तो एसएनसीयू चिकित्सक से तत्काल परीक्षण करायें।
- न्यूबॉर्न कार्नर रजिस्टर में प्रत्येक न्यूबॉर्न जिसे पुर्नजीवन दिया गया हो, कि प्रविष्टि सुनिश्चित करें।
- पोस्टनेटल वार्ड में एसएनसीयू चिकित्सक को सुबह व शाम राउण्ड दिलाये।
- समय से पूर्व के प्रकरणों में Injection Betamethason के उपरयोग की रजिस्टर में प्रविष्टि करें।
- सुनिश्चित करें कि न्यूबॉर्न कार्नर के सभी उपकरण व सामग्री क्रियाशील अवस्था में हैं।

एनबीएसयू में पदस्थ स्टॉफ नर्स:-

- एन.बी.एस.यू में भर्ती बच्चों का पंजीयन कर Identification Tag लगाये जायं एवं केसशीट में सामान्य प्रविष्टियों को दर्ज करें।
- प्रोटोकॉल्स अनुसार चिकित्सक के मार्गदर्शन में भर्ती शिशुओं का प्रबंधन एसेप्टिक प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करें।

आर.बी.एस.के. के अंतर्गत डी.ई.आई.सी. में पदस्थ स्टॉफ नर्स:-

1. डी.ई.आई.सी. में कार्यरत स्टाफ नर्स द्वारा प्रतिदिन 30-35 बच्चों का परीक्षण एवं मानवमिति (एन्थ्रोपोमेट्री) लेना सुनिश्चित करना।
2. डी.ई.आई.सी. में आने वाले बच्चों का टीकाकरण, आवश्यकतानुसार विटामिन ए एवं एलबेंडाजोल की दवाई अपने सुपरविजन में देना एवं बच्चों के अभिभावकों को स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी आवश्यक परामर्श देना।
3. स्वास्थ्य परीक्षण शिविर:- समय-समय पर आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
4. डी.ई.आई.सी. में किए जा रहे कार्य एवं बच्चों का टीकाकरण, विटामिन ए एवं एलबेंडाजोल की दवाई का निर्धारित प्रपत्र में रिकार्ड संधारण करना।
5. बच्चों का फॉलोअप करना एवं अभिभावकों को होने वाली प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करना।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन द्वारा दिये गए अन्य निर्देशों का पालन करना।

राज्य स्वास्थ्य समिति/जिला स्वास्थ्य समितियों के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु संशोधित यात्रा भत्ता नियम

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल के परिपत्र क्रमांक 4-2/2016/नियम/चार भोपाल, दिनांक 5/11/2016 द्वारा राज्य शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों के यात्रा भत्तों की दरों में संशोधन किया गया है। इसके अनुक्रम में एन.एच.एम. के अन्तर्गत संविदा सलाहकारों/अन्य संविदा कर्मियों को निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाकर यात्रा भत्तों की दरों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1/ वर्गीकरण:-

श्रेणी	संविदा मानदेय
(1)	(2)
ए	60,000 या उससे अधिक
बी	50,000 या उससे अधिक
सी	30,000 या उससे अधिक
डी	30,000 से कम

2/ दैनिक भत्ता:- यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार देय दैनिक भत्ता ;पूरक नियम 30) मुख्यालय भत्ता ;पूरक नियम 25 की टिप्पणीद्वारे विशेष विराम भत्ता ;पूरक नियम 55-ए अनुसार) को समेकित किया गया है। समेकित दैनिक भत्ते की दर पुनरीक्षित कर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

श्रेणी	साधारण दर	प्रदेश के चार बड़े नगरों यथा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं प्रदेश के बाहर के स्थानों ;कालम 4 में दर्शाये स्थानों को छोड़करद्वारे के लिये विशेष दर	दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चैन्नई, बैंगलूरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर, एवं पुणे के लिये दर
(1)	(2)	(3)	(4)
ए	250	375	500
बी	200	300	400
सी	150	225	300
डी	125	185	250

स्थानीय परिवहन हेतु ऑनलाईन पेड टैक्सी/प्रीपेड टैक्सी बूथ के देयक प्रस्तुत करने पर उपरोक्तापुसार प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी।

3/ यात्रा के साधन:-

श्रेणी	हवाई यात्रा	रेलगाड़ी से यात्रा	बस से यात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)
ए	इकनॉमी श्रेणी	समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
बी	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
सी	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी एवं एकजीक्यूटिव श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	समस्त श्रेणी
डी	नहीं	वातानुकूलित प्रथम श्रेणी, एकजीक्यूटिव श्रेणी एवं वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के अलावा अन्य समस्त श्रेणी	वातानुकूलित डीलक्स बस के अलावा अन्य समस्त श्रेणी

राज्य के भीतर प्रमुख नगरों के लिये सस्ती वायुसेवा के प्रोत्साहन हेतु जारी वित्त विभाग के निर्देश क्र-एफ 4-5/2011/नियम/चार, दिनांक 27.08.2011 के अनुसार ऐसे अधिकारी जिनका ग्रेड वेतन 6600/- ग्रेड-बी या अधिक है, ऐसी सस्ती वायुसेवा (राज्य के भीतर) के पात्र होंगे माननीय मंत्रीगणों को हवाई जहाज की एक्जिक्यूटिव क्लास/बिजनेस क्लास से हवाई यात्रा की पात्रता होगी।

4/ ठहरने की पात्रता :- शासकीय यात्रा के दौरान निम्नानुसार दरों पर ठहरने की सुविधा होगी।

श्रेणी	दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चैन्नई, बैंगलूरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर, एवं पुणे	प्रदेश के चार बड़े नगरों यथा भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं प्रदेश के बाहर के स्थानों, कालम 2 में दर्शाये स्थानों को छोड़कर दू के स्थानों में होटल में ठहरने पर	प्रदेश के अन्दर अन्य स्थानों में होटल में ठहरने पर	प्रदेश के बाहर/महानगर में मित्र/रिश्तेदार के यहां ठहरने पर	म.प्र. पर्यटन विकास निगम के होटल/मोटल के लिये पात्रता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ए	5000	3750	2500	500	ए.सी. डिलक्स कक्ष/ए.सी. कक्ष
बी	3750	2800	1875	450	ए.सी. कक्ष
सी	2500	1875	1250	375	-
डी	1250	925	625	300	-

टीप- उक्त तालिका के कालम-6 अनुसार शासकीय प्रवास पर मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के होटलों में उरोक दरों पर केवल एक कक्ष उपलब्ध रहेगा। श्रेणी 'सी' एवं 'डी' के शासकीय सेवक के शासकीय प्रवास पर ए.सी. कक्ष में ठहरने पर उन्हें उनकी निर्धारित श्रेणी अनुसार ही प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी एवं अन्तर की राशि शासकीय सेवक के द्वारा ही वहन की जायेगी।

5/ प्रदेश के बाहर की यात्रा के दौरान स्थानीय परिवहन व्यय :-

राज्य के बाहर दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई, चैन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर एवं पुणे में शासकीय कार्य से स्थानीय यात्राओं हेतु पात्रता निम्नानुसार निर्धारित की जाती है।

श्रेणी	संविदा शुल्क अनुसार श्रेणी	स्थानीय परिवहन हेतु प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि (रुपये में)	परिवहन की व्यवस्था स्वयं करने पर देय राशि (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ए	1500	325
2	बी	1000	250
3	सी	625	185
4	डी	375	125

6/ राज्य स्वास्थ्य समिति के अन्तर्गत राज्य शासन से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के मामले में मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 4-2/2016/नियम/चार भोपाल दिनांक 5/11/2016 द्वारा निर्धारित ग्रेड वेतन अनुसार निर्धारित श्रेणियों के अनुक्रम में यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

7/ शासकीय कार्य की आवश्यकता के अनुसार हवाई यात्रा मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम. की स्वीकृति से की जा सकेगी। प्रदेश के बाहर अथवा प्रदेश के अन्दर हवाई यात्रा हेतु मिशन संचालक, की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

Syllabus STAFF NURSE

No. of Question-100

1. NURSING ART	5
2. ANATOMY PHYSIOLOGY	10
3. MICROBIOLOGY	5
4. MEDICAL SURGICAL NURSING PART I AND II	10
5. MENTAL HEALTH – PSYCHIATRY	5
6. MIDWIFERY & GYNACOLOGY	35
7. PEDIATRIC NURSING	20
8. COMMUNITY HEALTH NURSING PART I AND PART II - Hygiene	10